



प्रेस नोट



दिनांक 24.08.2023

कार्यालय पुलिस थाना बनाड जोधपुर पूर्व लूट का फर्दाफाश विधि से संघर्षरत बालक निरुद्ध

घटना:- दिनांक 22.08.2023 को प्रार्थी रमेश परिहार पुत्र श्री फुलाराम जी जाति सरगरा उम्र 51 साल निवासी खुड़ाला फालना पुलिस थाना फालना जिला पाली का रहने वाला हुं। मेरे नाम से एक स्वीफ्ट डिजायर कार मॉडल 2016 रजिस्ट्रेशन नम्बर जीजे 18 बीक्यू 7969 है। कल दिनांक 21.08.2023 को रात्रि मेरी 12 बजे मैं अपनी उक्त कार लेकर घर फालना से रवाना हो फालना चौराहा पर रुका था जहां पर दो नौजवान लड़के खड़े थे जिन्होंने मुझे पूछा कि भाई साहब जोधपुर जाओगे तो मैंने उन्हे कहा कि हा जोधपुर जाऊंगा मगर पहले मैं अपने साला जी व उनके लड़के को साईड मेरी स्थित पराखिया गांव से साथ मे लूंगा तो मेरे व उन दोनों नौजवान लड़कों के मध्य 2000/- रुपये के किराया मे जोधपुर चलने की बात तय हुई थी। मैंने कहा कि मैं किराया बीच मे गाड़ी मे डीजल भराऊंगा तब रुपये लूंगा तो दोनों ने कहा कि हमारे बड़े पापा का देहांत हो गया हम आपको बनाड गांव मे पहुंचते ही किराया के 2000/- रुपये दे देंगे। तो मैंने अपने सगा साला श्री हरीश पुत्र श्री हीराराम जाति सरगरा निवासी पराखिया पुलिस थाना साण्डेराव जिला पाली व उनका 05 वर्षीय बच्चा रुपेश को साथ लेकर हम तीनों व दोनों लड़के मेरी उक्त कार से पराखिया गांव से जोधपुर को रवाना हुए। कार मैं स्वयं चला रहा था। मेरे पास वाली सीट पर उनमे से एक आदमी बैठा था। पीछे वाली सीट पर मेरे साला हरीश जी व उनका लड़का रुपेश व दुसरा लड़का बैठा था। बीच रास्ते किरवा होटल पर चाय पी थी। वहा से रवाना होकर आज दिनांक 22.08.2023 को सुबह करीब 03.15 बजे मैं रोड सालावास पुल के पास स्थित पम्प पर 2000/- रुपये का कार मे डीजल भरवाया था। उसके बाद पेट्रोल पम्प से रवाना हो मैं रोड से वक्त करीब 4.00 बजे नान्दडा कला से पहले तिराया पर पहुंचे दोनों ने हमे कहा कि हमारा गांव आ गया है। हमारे बड़े पापा का देहांत हो रखा है घर पर गाड़ी नहीं ले जानी है। मैं मेरे भाई को घर से सामने यहीं पर मोटर साईकिल पर बुलाकर आपको किराया दे देते हैं। इसलिए हमने कार वही तिराया पर रोककर कार से नीचे उतर कर चारों ने पेशाब की थी। करीब 05 मिनट तक उनके रिश्तेदारों के आने का इन्तजार किया था। इस दौरान मेरे साथ कार मे अगली सीट पर बैठे लड़के ने अपनी पेन्ट की जेब से एक पिस्टल निकाल लोडकर मेरे सामने तानकर हमे कहा कि चुपचाप खड़े रहना वरना गोली मार दुंगा। तब हम दोनों डर गये थे। उसके बाद दोनों ने हमे कहा कि आप अपने अपने मोबाइल फोन निकाल कर हमे दे दो तो हम दोनों ने अपने अपने फोन निकाल उन्हे दे दिये थे। मेरे साले का छोटा लड़का रुपेश कार मे पिछली सीट पर ही सो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुरन्त इस बच्चे को सीट हटाओ तो मेरे साले ने अपने बच्चे को अपने पास लिया तब दोनों लड़कों ने एकदम गाड़ी चालू कर जिस रास्ते से आये उसी रास्ता की ओर चले गये थे। फिर हम दोनों सवेरे होने से घरों से बाहर आये लोगों से मदद मांगी तथा पैदल पैदल पास ही स्थित होटल पर गये थे। होटल वालों को जगा कर घटना की जानकारी दी। होटल वालों ने एक पिकअप गाड़ी वालों को रुकवाकर मैं रोड पर भिजवाया था। जहा मैं रोड पर पुलिस की गाड़ी मिली जिन्हे हमने हमारे साथ लूट की घटना की पूरी जानकारी दी पुलिस वालों ने हमे घटना के मौके पर लाये इस दौरान अन्य काफी पुलिस की गाड़ीया भी मौके पर आ गयी थी। मेरी कार की डेसबोर्ड की टुल बॉक्स मे 12000/- रुपये नकद रखे थे। मेरा लूट मोबाइल वीवो कम्पनी का फोन जिसमे एयरटेल कम्पनी की सीम नम्बर 9001946128 व मेरे साला हरीश जी के लूट मोबाइल के नम्बर 6355270155 थे। हमे पिस्टल दिखा कर हमारी कार लूटने वाले दोनों लड़के नौजवान उम्र के थे जिनमे एक लड़के के महेन्द्री कलर का शर्ट, ब्लैक पेन्ट, दुसरे लड़के के सफेद शर्ट व ब्लैक पेन्ट पहनी थी। जिनको हम आईन्दा शक्त देखकर पहचान लेगे। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश शुरू कि गई।

कार्यवाही पुलिसः— श्रीमान् रविदत्त गौड़ पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जोधपुर शहर हो रही लगातार लूट की वारदातों की घटनाओं की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए वारदातों का खुलासा करने के निर्देशों की पालना में डॉ. अमृता दुहन पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व व श्रीमान नाजिम अली आरपीएस अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के निर्देशन में तथा श्रीमान पीयूष कविया आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त मण्डोर जोधपुर पूर्व के निकटतम सुपर विजन में मन् थानाधिकारी सुरेन्द्रसिंह नि०पु० पुलिस थाना बनाड़ के नेतृत्व में आसूचना अधिकारी श्री राजेन्द्र कानि 1870 व श्री महेशचन्द कानि 1347 के द्वारा आसूचना संकलन व वर्तमान में प्रयुक्त तकनिकी साधनों का उपयोग करते हुए पता चला कि दो सदिंग्ध व्यक्तियों द्वारा फालना पाली से किराया पर ली गई कार को जोधपुर आने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट के दो सदिंग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। पहचान के आधार पर विधि के संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया। विधि के संघर्षरत बालक ने अपने एक साथी अशोक पुत्र श्री मुलतानराम जाति जाट निवासी बिसलपुर पुलिस थाना डागियावास जोधपुर के साथ लूट की वारदात करना स्वीकार किया। विधि के संघर्षरत बालक को प्रकरण संख्या 263/23 की वारदात स्वीकार करने पर बाद अनुसंधान निरुद्ध किया है। प्रकरण के शरीक मुलजिम के दस्तयाबी के प्रयास जारी है।

गठित टीमः—

- 1—श्री सुरेन्द्रसिंह नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 2—श्री राकेशसिंह साईबर सैल जिला जोधपुर पूर्व
- 3—श्री परसाराम सउनि पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 4—श्री महीपाल हैडकानि 1847 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 5—श्री राजेन्द्र कानि० 1870 आसूचना अधिकारी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व।
- 6—श्री महेशचन्द कानि 1347 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 7—श्री हनुमानसिंह बेनिवाल कानि० 2259 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 8—श्री प्रेमाराम कानि 1390 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 9—श्री सुखदेव कानि 2641 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 10—श्री बिरमाराम कानि 915 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
- 11—श्री चरणसिंह कानि 443 पुलिस थाना डागियावास जोधपुर पूर्व
- 12—श्री मदनसिंह कानि पुलिस थाना फालना पाली

नोटः— लूट का खुलासा व विधि के संघर्षरत बालक को निरुद्ध में कानि राजेन्द्र सिलारी 1870 आसूचना अधिकारी पुलिस थाना बनाड़ व महेशचन्द मीणा कानि 1347 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भवदीय
एसडी /—
थानाधिकारी
पुलिस थाना बनाड़
जोधपुर पूर्व